**संख्या-30/2017-2232/58-2017-155/2014**

प्रेषक,

**डा0 अलका टण्डन भटनागर,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊ:दिनांक: 10 अक्टूबर, 2017**

**विषय :- इंजन चालक के पद को नलकूप चालक में परिवर्तित करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-डी0एच0-81/स्था0-3/लिपिक-637, दिनांक 22.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में इंजन से चलने वाले नलकूप समाप्ति की ओर हैं तथा विद्युत के द्वारा नलकूपों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग और फलपयोग समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली, 1986 के क्रमांक-15 के अनुसार इंजन चालक एवं नलकूप चालक समान पद है तथा दोनों ही पदों की शैक्षिक योग्यता भी समान है। सेवानियमावली, 1986 के प्राविधानों के अनुसार इंजन चालक के पदों को नलकूप चालक के पद पर परिवर्तित किये जाने पर कोई भी वित्तीय प्रभार नहीं पड़ेगा।

3- अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल इंजन चालक के पदों को नलकूप चालक के पद पर परिवर्तित किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था को संगत सेवा नियमावली में शीघ्र सम्मिलित कर लिया जायेगा।

भवदीया,

**(डा0 अलका टण्डन भटनागर)**
**विशेष सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-30/2017-2232(1)/58-2017, तद्दिनांक:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी-द्वारा निदेशक।
3- अपर निदेशक, प्रशासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर/बस्ती-द्वारा निदेशक।
6- मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मलिहाबाद/इलाहाबाद -द्वारा निदेशक।
7- समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0 द्वारा-निदेशक।
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उ0प्र0 द्वारा-निदेशक।
9- सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी -द्वारा निदेशक।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(इन्दुबाला कटियार)**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in